



पत्रांक: CCE/ ISDC/ AAP-CAP//2019-20/ 2020

Date: 29<sup>th</sup> Feb. 2020

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय: सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ दिनांक 04 मार्च 2020 को अपरान्ह पश्चात 3.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद के संबंध में।

दिनांक में भूल सुधार कर पुनः आदेश पत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा फरवरी 2019 की बजट घोषणा में निर्देशित Annual Auditing Programme की क्रियान्विति के लिये आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं निरीक्षण दलों के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक आवश्यक बैठक दिनांक 04 मार्च 2020 को अपरान्ह पश्चात 3 बजे से 5 बजे तक की जा रही है।


यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम पर ही उपलब्ध होगी।

इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों को उपस्थित होना अनिवार्य है –

1. सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं AAP अंकेक्षण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी गण। कृपया ध्यान दें कि प्राचार्य सहित एक महाविद्यालय से केवल 02 व्यक्ति ही इस बैठक में पधारे।
2. आयुक्तालय के आदेश क्रमांक CCE/ ISDC/ AAP//2019-20/ 1973; Date: 27<sup>th</sup> Feb. 2020 द्वारा गठित निरीक्षण दलों में चयनित सभी संकाय सदस्य। (निरीक्षण दलों में चयनित अधिकारियों को संबंधित मूल पदस्थापन महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं अपने स्तर पर सूचित कर उन्हें इस बैठक में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।)

इस बैठक महाविद्यालयों से निम्नलिखित सूचनाएं अपेक्षित हैं –


1. AAP अंकेक्षण फॉर्मेट को सभी आमंत्रितगण भली भांति पढकर आएं।
2. AAP अंकेक्षण के भरे हुए फॉर्मेट की प्रति सभी प्राचार्य साथ लेकर आएं।
3. AAP अंकेक्षण फॉर्मेट में भरी गयी प्रविष्टियों के सत्यापन साक्ष्य भी एकत्रित कर तैयार रखें (सत्यापन साक्ष्य इस मीटिंग में साथ नहीं लाने हैं।)
4. AAP अंकेक्षण फॉर्मेट के अनुरूप अपने महाविद्यालय का स्कोर आपको ज्ञात होना चाहिये।

  
प्रदीप कुमार बोरड, IAS  
आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ ISDC/ AAP-CAP//2019-20/ 2020; Date: 29<sup>th</sup> Feb. 2020

सूचनार्थ प्रतिलिपी:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु संबंधितों को आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देशित करें।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, HRD आकाशि, जयपुर।
7. सभी सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि इस बैठक में वे उपस्थित रहें।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, कॉलेज समूह, आकाशि, जयपुर को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि वे अपने संबंधित महाविद्यालयों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग बाबत सूचित करें।
9. वैब प्रभारी को आकाशि की वैबसाइट पर अपलोड/संबंधितों को ई-मेल करने हेतु/रक्षित पत्रावली।

  
डा. विनोद कुमार भारद्वाज,  
प्रभारी अधिकारी  
नवाचार एवं कौशल विकास